न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2016 (राजसमन्द आर्डर)

शिवराजसिंह पिता जवानसिंह जी सिसोदिया, निवासी भलावतों का खेड़ा, सिसोदिया कॉम्पलेक्स, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जवानसिंह पिता भैरूसिंह जी सिसोदिया, निवासी भलावतों का खेड़ा, सिसोदिया कॉम्पलेक्स, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुश्री संध्या कुंवर नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक युवराजसिंह पिता जवानसिंह जी सिसोदिया, निवासी भलावतों का खेड़ा, सिसोदिया कॉम्पलेक्स, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. युवराजसिंह पिता जवानसिंह जी सिसोदिया, निवासी भलावतों का खेड़ा, सिसोदिया कॉम्पलेक्स, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 23.11.2016, प्र॰ सं॰ 496/15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस. एल. लढ्ढा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एस. एस. पालीवाल अभिभाषक रे. 1, 2, 3
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 22–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भलावतों का खेड़ा व नाथद्वारा में वाद पत्र की कलम संख्या 2 की आराजियात स्थित हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार पक्षकारान का सजरा है, जिसके अनुसार मूल पुरूष भैरूसिंह के 3 पुत्र

जवानसिंह, रूपसिंह एवं सोहनसिंह हुए। जवानसिंह के तीन पुत्र प्रार्थी शिवराजसिंह व ऋतुराजसिंह तथा युवराजराज हुए। प्रार्थना पत्र कलम संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ठ 'ब' व 'स' की भूमियां भैरूसिंह जी की विरासत से विपक्षी संख्या 1 जवानसिंह को प्राप्त हुई है तथा परिशिष्ठ 'अ' की भूमियां प्रार्थी के दादा भैरूसिंह स्वयं ने क्रय की किन्तु रजिस्ट्री जवानसिंह के नाम करायी। इस कारण उक्त भूमियों में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है, किन्तु जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 का नाम ही दर्ज होने के कारण विपक्षी संख्या 1 अपने दूसरे पुत्र युवराजसिंह के बहकावे में आकर अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने पर आमादा है। अतएवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भूमियों का हस्तान्तरण नहीं करें तथा मौके की यथावत स्थिति बनायी रखी जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ठ 'अ' की भूमियां विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित हैं तथा परिशिष्ठ 'ब' व 'स' की भूमियां भैरूसिंह जी की होकर विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में आयी है। विपक्षी संख्या 1 जवानसिंह को उक्त भूमियां विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई आधार नहीं है।

विशेष कथन में निवेदन किया कि परिशिष्ठ 'अ' की भूमियां विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित हैं, पैत्रृक भूमियां नहीं हैं तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा कुछ भूमियों का विक्रय भी किया जा चुका है, जिसे निरस्त कराये बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी को अपनी इसी स्वअर्जित भूमि में से आराजी नंबर 280 में से ही प्रार्थी को दान पत्र के जरिये एक प्लाट बक्षीस किया गया है, जिस पर स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। नाबालिग विपक्षी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया, अवयस्क के विरूद्ध प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उक्त जवाब का जवाबुल जवाब भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–11–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम भलावतों का खेड़ा की आराजी नंबर 510 तथा ग्राम नाथद्वारा की

आराजी नंबर 44, 45, 57 व 43 बाबत् राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बेचान व निर्माण नहीं करने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23–11–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–12–2016 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय वादग्रस्त आराजी जवानसिंह जी के पिता भैरूसिंह जी ने माफीदार से सन् 1951 में 99/– रूपये में क्रय की, परन्तु रजिस्ट्री जवानसिंह के नाम करा दी गयी, जबकि उक्त भूमियों में उनके भाई रूपसिंह व सोहनसिंह का भी समान हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज हैं। जवानसिंह के नाम भूमियां अंकित हो जाने से अपने छोटे पुत्र युवराजसिंह के बहकावे में आकर भूमि को खुर्द–बुर्द करने का आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से ही स्वीकार किया है, जबकि भूमियां जवानसिंह की नाबालिग अवस्था में उनके पिता द्वारा क्रय किया जाना स्पष्ट है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है तथा जो भूमियां मौरूसी थी उन भूमियों बाबत् प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है तथा जो

भूमियां विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित थी उन भूमियों बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी है, तद्नुसार उक्त भूमियों में प्रार्थी/अपीलान्ट का हम माने जाने का प्रथम दृष्टया इस स्तर पर कोई आधार नहीं है। जहां तक अपीलान्ट का यह कथन कि उक्त भूमियां पहले अपंजीकृत विक्रय पत्र से किसी अन्य व्यक्ति रूपसिंह अर्थात प्रार्थी के चाचा के नाम से क्रय की गयी थी, उक्त विक्रय पत्र से आधार पर यदि कोई हक उत्पन्न होता है तो वह वाद हेतुक रूपसिंह को हो सकता है, प्रार्थी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से यह भी देखा गया है कि प्रार्थी ने जो वाद प्रस्तुत किया है वह मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, घोषणा की कोई राहत नहीं चाही है। अर्थात प्रार्थी/अपीलान्ट अनन्तकाल तक स्वअर्जित भूमियों के क्रेता अपने पिता को विक्रय से पाबन्द करना चाहता है, जो कदापि विधि की मंशा नहीं है तथा न ही स्वअर्जित सम्पत्ति के सन्दर्भ में कोई पुत्र अपने पिता को विक्रय से इस स्तर पर पाबन्द करवा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्टया जो भूमियां जो मौरूसी थी, उनके बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है तथा स्वअर्जित भूमियों बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अपीलान्ट द्वारा इस प्रकरण में न्यायिक नजीरें डी.एन.जे. 2011 (3) राज. पेज 1483, आर.आर.टी. 2005 (2) पेज 1236, ए.आई.आर. 1975 कर्नाटक पेज 119, आर.आर.डी. 1998 पेज 280, आर.आर.डी. 1998 पेज 206, ए.आई.आर. 1998 हाईकोर्ट पेज 3276 पेश की, जिनके तथ्य इस प्रकरण से किसी प्रकार से सुसंगत नहीं होने से उक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

अतएवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–11–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर